जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प–2(ई.सी.212)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी– 1156 दिनांक : 28.7.2017

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 212वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	212.1	कार्यकारी समिति की 211वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 211वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	212.2	कार्यकारी समिति की 211वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 211वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया गया।	
3.	212.3	राजस्व ग्राम सांगानेर के खसरा नम्बर 1259 के भूखण्ड संख्या 23 का पट्टा जारी करने बाबत।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के	उपायुक्त जोन–8

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में खसरा नं. 1259 राजस्व ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या 23 की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
4.	212.4	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत आवंटित आवास (फ्लेट) श्यामपुरा बुहारिया (रिजेन्सी बिल्डहोम प्रा. लि.) के आवास संख्या बी10/एस एफ/3 के नियमितीकरण करने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत आवंटित आवास (फ्लेट) श्यामपुरा बुहारिया (रिजेन्सी बिल्डहोम प्रा. लि.) के आवास संख्या बी10/एस एफ/3 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों	उपायुक्त जोन–14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			का ध्यान रखा जावे।	
5.	212.5	ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 210, 212, 216, 217 की भूमि का उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2025 में होटल/पर्यटक ईकाई (व्यावसायिक) करने बाबत।	प्रकरण में गहन विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक F-10(35) UDH/3/ 2010Part दिनांक 20.07.2017 में रिसर्जेंट राजस्थान के अन्तर्गत प्राप्त भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन किया जावे अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश नहीं दिए गए हैं। अतः समिति द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–14
6.	212.6	जविप्रा की आवासीय योजना देव विहार के भूखण्ड सं. ए–121 के नियमितीकरण करने बाबत।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों	उपायुक्त जोन–14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के जविप्रा की आवासीय योजना देव विहार के भूखण्ड सं. ए-121 की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
7.	212.7	मेप्पल रेजिडेन्सी की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या-03 एल.आई.जी. के नियमितीकरण करने बाबत।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही	उपायुक्त जोन-14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में मेप्पल रेजिडेन्सी की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–03 एल.आई.जी. की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
8.	212.8	विधवा व गरीब महिला कब्जे के आधार पर अलग से एकल यूनिट मानकर जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार में 45.00 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेखित निम्न तथ्यों पर विचार–विमर्श किया गया :– 1. श्रीमती कल्ली देवी पत्नि स्व. श्री रामफूल का सर्वे नम्बर नहीं है। 2. बिना सर्वे नम्बर आदि के भूखण्ड आवंटन करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। 3. श्रीमती कल्ली देवी के तीन पुत्रों को इसी योजना में तीन अलग–अलग भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। अतः उक्त तथ्यों पर विवेचना के पश्चात श्रीमती कल्ली देवी को भूखण्ड आवंटन के प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–9

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
9.	212.9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार वैशाली नगर आगार व टायर प्लान्ट की कुल भूमि 21252.72 व.मी. में से सडक क्षेत्र में आने वाली भूमि को छोडते हुए शेष 19403.45 व.मी. भूमि का 5000–5000 व.मी. के दो भूखण्डों का वाणिज्यिक व शेष 9403.45 व.मी. के भूखण्ड का मिश्रित भू–उपयोग परिवर्तन (कर नीलाम करने के संबंध में) दिनांक 24.06.2017 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र व दिनांक 23.06.2017 को राजस्थान पत्रिका में धारा 25 (3) के अनुसरण में अधिसूचना प्रकाशित की गई है।	विचार–विमर्श पश्चात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार वैशाली नगर आगार व टायर प्लान्ट की कुल भूमि 21252.72 वर्गमीटर में से सड़क क्षेत्र में आने वाली भूमि को छोड़ते हुए शेष 19403.45 वर्गमीटर भूमि का सर्कुलेशन (Circulation) से 5000–5000 वर्गमीटर के दो भूखण्डों का वाणिज्यिक व शेष 9403.45 वर्गमीटर के भूखण्ड का मिश्रित भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक F-10(35) UDH/3/ 2010Part दिनांक 20.07.2017 में दिए गए दिशा–निर्देश के क्रम में भू–उपयोग परितर्वन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक F-10(35) UDH/3/2010Part दिनांक 20.07.2017 के परिप्रेक्ष्य में सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे एवं प्रेषित किए गए पत्र की प्रति मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को भी प्रेषित की जावे।	उपायुक्त जोन–1

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
10.	212.10	त्रिवेणी नगर योजना के अन्तर्गत नीलामी में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस एस-4 की नजराना राशि की ब्याज राशि लौटाने बाबत।	विचार-विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन-5 द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.06.2011 को जारी कर दिया गया था, जिससे यह विदित है कि दिनांक 03.06.2011 से उक्त भूखण्ड का कब्ज़ा श्रीमती सरबती देवी के पास था। जोन द्वारा उक्त भूखण्ड को अतिक्रमण मुक्त भी कर दिया गया था। इन सभी तथ्यों से विदित है कि भूखण्ड का कब्ज़ा श्रीमती सरबती देवी के पास ही था, तथा रिफण्ड बाद में प्रार्थी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार-विमर्श पश्चात श्रीमती सरबती देवी को 6 प्रतिशत ब्याज राशि लौटाने के प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-5
11.	212.11	Ex Post Facto Approval of modification of Eligibility criteria for the work of "Consultancy service for preparation of ESMS report for five ROB/RUB projects-Sitapura, Dantli, Bassi, Jahota & Anandlok, in JDA region".	विचार-विमर्श पश्चात "Consultancy service for preparation of ESMS report for five ROB/RUB projects- Sitapura, Dantli, Bassi, Jahota & Anandlok, in JDA region" के लिए प्रकाशित की गई संशोधित निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
12.	212.12	The Executive committee meeting held on 12.04.2017 , in which the above subjected agenda was placed for cancllation of tender, but the executive committee take decision to lock the A&F sanction no. 308 / 2014-15 and revised NR-293 dated 24.02.2016. Further file was sent to unlock the A&F sanction, but the higher authorities direct to unlock the A&F sanction upto the pending liabilities of the work order issued so far amounting to Rs. 322.00 lacs & issuing a new work order amounting to Rs. 150.00 lacs under ARC named "Rate contract for construction of internal bituminous roads in various co-operative schemes, Zone-17, JDA, Jaipur Phase-IV (ARC)", No. JDA/EE Zone 17/LOA/ 2016-2017/Aug/03, dated 16.08.2016 (validity upto 15.08.2017). The remaining amount in this ARC is Rs. 3,92,19,147.00.	कार्यकारी समिति के एजेण्डा संख्या 210.13 में लिए गए निर्णयानुसार "Construction of internal bituminous roads in various co-operative schemes, Zone-17, JDA, Jaipur Phase-II" के लिए जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को Lock करने का निर्णय लिया गया था। विचार–विमर्श पश्चात अब उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में जारी कार्यादेशों की Pending liabilities में रूपए 150.00 लाख के कार्यादेश को सम्मिलित करते हुए कुल राशि रूपए 2473.00 लाख को Unlock करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
13.	212.13	Withdrawal of the work of Remaining Civil work in Indoor Polo Arena, JDA, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात प्रकरण को स्थगित (Defer) करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
14.	212.14	Agenda for approval of work done amounting to Rs. 50723692.78 in the work of Civil, Sanitary and electrification work in	विचार–विमर्श पश्चात Civil, Sanitary and electrification work in the building of	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		the building of Equestrian Arena in Shooting Range at Jagatpura Jaipur originally restricted up to Rs. 5.00 Cr. awarded to M/s Anandi Lal Lalpuria.	Equestrian Arena in Shooting Range at Jagatpura Jaipur का कार्य जो कि पूर्व में कार्यकारी समिति की 128वीं बैठक दिनांक 20.05.2008 के द्वारा रूपए 5.00 करोड़ तक सीमित किया गया था, के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस कार्य को भौतिक रूप से सुरक्षित स्तर तक पूर्ण करने के लिए किए गए अधिक व्यय रूपए 7,23,692.78 को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय रूपए 5,07,23,692.78 की स्वीकृति प्रदान की गई।	

28/7/17

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 212वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 को अपरान्ह 12:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन. सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री बृजेश कुमार	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री रमेश कुमार आर्य	सहायक विधि परामर्शी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री प्रदीप मोंगा	अति. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री वी. पी. सिंह	सलाहकार इन्फ्रा	रीको लि. जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री कमल के पारीक	महाप्रबन्धक जयपुर जोन	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री एस. एस. अग्रवाल	सहायक अभिंयन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री एम. एल. चौधरी	अति. मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री बी. डी शर्मा	अति. मुख्य अभियन्ता-IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री अशोक कुमार चौधरी	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री बीरबल सिंह	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री मधुसूधन पालीवाल	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री राधेप्रताप सिंह	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री बी. एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता- VII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता- VI	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री एन. के. सिघंल	अधीक्षण अभियन्ता- V	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री सुनील शुक्ला	अधिशाषी अभियन्ता (आरओबी-III)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
23.	श्री पी.के. व्यास	अधिशाषी अभियन्ता (पी.आर.एन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री विवेक शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता-(प्रो.-1)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री सुरेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता (आरओबी-IV)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

28/7/17

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.212)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी- 1156 दिनांकः 28.7.2017

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन..........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

28/7/17

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर